न्यायालय माननीय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर

निगरानी /2016 आगर नि. 2737-PBR/16

श्री सुरेशकुमार भावसार द्वारा आज दि. 16/8/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(3)

दरियाव
1–दरियावसिंह पिता नारायणसिंह आयु 55 वर्ष

2–मनोहरसिह पिता नारायणसिंह आयू 50 वर्ष

सर्वनिवासी ग्राम गोठडा नवगठित तह. नलखेडा
जिला आगर-मालवा
संभाग उज्जैन .... आवेदकगण

विरूद्ध

1–अमरापिता मांगु आयू 50 वर्ष

2–बालूपिता मांगू आयू 45 वर्ष

3–प्रभूपिता मांगू आयू 40 वर्ष

4–माधूपिता मेहताब आयू 45 वर्ष

सर्वनिवासी ग्राम गोठडा तह. नलखेडा
जिला-आगर मालवा
संभाग उज्जैन म.प्र...................... अनावेदकगण

माननीय महोदय,

निगरानी आदेश दिनांक 16/05/2016 श्रीमान तहसीलदार महोदय नलखेडा के प्र.क. 49अ12/2015–16 के विरूद्ध।

1– यह कि ग्राम गोठडा तह. नलखेडा में भूमि क. 350 एवं 353 स्थित हैं इन भूमि कं. में से भूमि कं. 350 के लिए अनावेदक अमरा द्वारा तहसीलदार महोदय नलखेडा के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदकगण को बिना सूचना के तहसीलदार महोदय के आदेश से राजस्व निरिक्षक द्वारा दिनांक 16/05/2016 को सिमांकन किया गया व सीमांकन में आवेदक के स्वत्व आधिपत्य की भूमि कं. 353 पर अनावेदक अमरा का आधिपत्य होना दर्शाया । उक्त सीमांकन आदेश पर अनावेदक अमरा द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 250 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया तब आवेदकगण को इस बात की जानकारी हुई की अमरा ने गलत सीमांकन करवाकर उसके स्वत्व आधिपत्य की भूमि पर कब्जा लेने की चेष्ठा की । श्रीमान तहसीलदार महोदय का आदेश निम्न कारणों निरस्त होने योग्य हैं।

निगरानी के आधारः–

1– यह कि सीमांकनकर्ता अधिकारी को सीमांकन करने के पूर्व आवेदकगणों को सूचना देना व पर्याप्त समय देना आवश्यक था।

दरियाव सिंह / अमरा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(16)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 2737/PBR/16 जिला - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार नलखेड़ा के प्रकरण क्रमांक 49/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 16-5-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर आगर मालवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	